### 19/kcolon 13/3/23

## IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

### (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. 1899 OF 2023

The Bihar Administrative Service Association

.....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors.

....Respondents

## Subject:-Second Supplementary Affidavit

#### INDEX

		7.		6.	5.		4		ب		2.			No.	SI.
	& 24A	Annexure-24		Annexure-23	Annexure-22		Annexure-21	& 20A	Annexure-20		Annexure-19	with I.D. Proof.	Second Supple		
20.07.1960.	10.03.2023 and notification no. 2709 dated 22.28	True copies of the memo no. 25 dated	02.03.2023.	Annexure-23 True copy of the letter no. 165 dated	True copy of the format of undertaking.	28.02.2023.	True copy of the letter no. 276 dated	& 10.02.2023 in CWJC No. 1899 of 2023.	True copies of the order dated 28.02.2023	23 dated 24.02.2023	Annexure-19   True copy of the letter bearing memo no. 12		Second Supplementary affidavit on behalf of petitioner		Particulars
,	22-28		21,		201	7	5	4-18		١	<u> </u>		1-12	No.	Page

ख

स् सम्

हुनु

77

76

नित

1

### IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA (CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. NO. 1899 OF 2023

The Bihar Administrative Service Association

.....Petitioner

Versus

The State of Bihar & Ors.

...Respondents

# SECOND SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE

#### PETITIONERS.

state as follows: P.S.-Buddha Colony, District-Patna-800001, do hereby solemnly affirm and resident of B-403, Nandan Vatika, Sursudha Lane, East Boring Canal Road, I, Sunil Kumar Tiwary, aged about 50 years (Male), son of Late Prithavi Raj,

ध्य

हुत्

17

ोक

- the circumstances of the case present That I am the General Secretary of the petitioner association in case and as such, well acquainted with the facts and
- ...iv order dated 28.02.2023 in CWJC No. 1899 of 2023. filed to bring on record certain development which had taken place after the That the present second supplementary affidavit is being
- 24.02.2023 to the Chief Secretary, Bihar that in the light of the order dated ·w association submitted That pursuant to the order dated 10.02.2023, the petitioner its representation through memo no. 23 dated

dispute. and Registration Department and submitted its consent for settlement of the order bearing memo no. 76 dated 28.01.2023 issued by the Prohibition Excise that the Additional Chief Secretary, Sri K.K. Pathak agrees to withdraw the 10.02.2023 is ready to resolve the dispute amicably, subject to the condition

True affidavit Annexure-19, which forms annexed herewith and marked as memo no. copy second 23 dated 24.02.2023 is of the letter supplementary part of bearing

report to this Hon'ble Court. was fixed for 03.03.2023 at 2:30 PM where the Chief Secretary is directed to shall exercise the power and authority vested in him sternly. The next date Secretary was directed to do the needful and if required, the Chief Secretary matter has been remitted by the High Court to the Chief Secretary. The Chief Chief Secretary to resolve the disputes in between the parties, when the report, the Court observed that it was the duty and obligatory on part of the report in the seal cover before the Hon'ble Court. After going through the date of hearing dated 28.02.2023, the Learned Chief Secretary submitted a Chief Secretary, but the matter could not be resolved. However, on the next 4. That thereafter, the meeting was held in the office of the

17

76

1

-

हुन

क

गद

ख

14:

of the order dated

True 2023 28.02.2023 in CWJC No. 1899 of forms supplementary affidavit. marked copy of S part as annexed herewith and Annexure-20, which of the this order second

S informed that a meeting was scheduled for 02.03.2023 in the Chamber of the association received a letter no. 276 dated 28.02.2023, wherein he has been and it was directed that both the parties will remain present in the meeting Secretary Sri K.K. Pathak, Prohibition Excise and Registration Department Chief Secretary between the petitioner association and the Additional Chief That pursuant to the order dated 28.02.2023, the petitioner

True copy of the letter no. 276 dated 28.02.2023 is annexed herewith and marked as Annexure-21, which forms part of this second supplementary affidavit.

हेतु

ग्र

1

\*\*

विक

ध्य

6 petitioner association and the Additional Chief Secretary, Sri K.K. Pathak, the Chief Secretary, Govt. of Bihar. During the said meeting, on behalf of the Prohibition Excise and Registration Department under the Chairmanship of petitioner association, the President of the association and General Secretary were present. In the said meeting, Sri K.K. Pathak supplied a copy of That on 02.03.2023, a meeting was convened between the

'23

being quoted hereunder below for proper appreciation. the entire content of the undertaking sought to be given by the association is undertaking submitted by the petitioner association. For the ease of reference, association at the district level. Apart from that an undertaking was also Conduct Rules, 1976 with another condition that the association is a single association or any of its bodies shall be as per Bihar Government Servant Government Servant Conduct Rules, 1976 and the resolution passed by the association and undertaking to the Chief Secretary which has to be executed by the President General Secretary of the association on behalf of its member that the registered in Patna and there shall be no separate meeting of the in relation to carry out amendments and its member will strictly follow the provision of Bihar in the by-laws as per the

#### "Undertaking

We, Association do hereby solemnly affirm and state as under:the officebearers of the Bihar Administrative Service

तिक

हुन

큯

7

1.14

1

- Bihar government service conduct rules, 1976. assemblies of the association shall be conducted in keeping with shall ensure that the working/operations/meetings/
- servant conduct rules, 1976 association or any of its bodies shall be as per Bihar government 2 We shall ensure that all the resolutions passed by
- government servant conduct rules, 1976 association shall strictly follow the Ś We shall ensure that the office bearers and members of the provisions Q, Bihar
- registered in 4. We understand that the association is only a single entity Patna therefore, there shall be по separate

government servant) cannot be coerced or compelled to follow the Bihar evident that the same is without any jurisdiction and the association (is not a Government Servant Conduct Rules 1976. It is submitted that even the said supplied by Sri K.K. Pathak is without any authority, even as per Bihar Rule is not applicable to the petitioner association. Therefore, the undertaking by the association to follow any of the provisions of the Bihar Service Service Conduct Rules 1976 there is no provision to furnish any undertaking Conduct Rules 1976. Hence, in absence of any specific requirement under the prevailing rules, the undertaking contrary to the law inclusive of Bihar Service Conduct Rules, registered under the Societies Registration Act, 1860 1976. The petitioner association is following its own bylaws which has been From a perusal of the undertaking furnished by Sri K.K. Pathak, it is petitioner association cannot be forced to sign

डि

हेतु

137

1

1

76

ध्य

True copy of the format of undertaking sought to be given by the petitioner is annexed herewith

===

withdrawn, we will convene

submit it to IG for approval."

association and pass amendments in bylaws as per above and

2

full body meeting of the

0

the fundamental rights protected to the citizens of this country under Article Service Conduct Rules 1976, the association was not of the opinion to give 19 of the Constitution of India and contrary to the provision of the Bihar such illegal undertaking which is against the mandate of law so far the association is concerned. However, it is relevant to state here that the Bihar Service members of the association are always amenable to the provisions of the Even the rule does not prescribe any undertaking. Thus, the condition of Sri dispute is against the democratic set up of the system. The demand of Sri power and position in order to satisfy his ego to justify his illegal order towards the association for resolving the dispute and misuse of his official K.K. Pathak for undertaking is autocratic and shows his prejudicial approach passed at his behest by the AIG Registration. Further it is also pertinent to mention here that the petitioner association was agreeable conditions in accordance with the existing rules and regulations applicable to agreeable and he was stubborn for the undertaking the other service associations of Bihar to which Sri K.K. Pathak was not Pathak of signing an undertaking as a precondition for settlement of Conduct Rules, 1976 for which no undertaking is required. That since the conditions of the undertaking were against

विक

हेर्न

1,14

1

. . .

निद

76

ध्य

नाद

76

1

:24

当

02.03.2023 is annexed herewith and True copy of the letter no. 165 dated forms marked as part Annexure-23, which of. this

supplementary affidavit.

jurisdiction as the AIG Registration is not a competent body to call for an 02.03.2023 has been issued by the AIG Registration without having any explanation from the District Magistrate in relation to the meeting conducted 02.03.2023 has been issued without jurisdiction and amounts to exceeding by the District Unit of the petitioner association. Therefore, the letter dated the power conferred upon the AIG Registration. However, in the letter itself, the AIG Registration has mentioned that this letter is being written on the direction of higher authorities which shows the conduct of Sri K.K. Pathak bypassing all the rules and regulations. his biasness and hatred towards the petitioner association through That it is also relevant to mention here that in the letter dated

ने म

हेर्नु

디디

76

its level to resolve the dispute with Sri K.K. Pathak, despite an illegal order has been passed at his behest. Previously also on 24.02.2023, the petitioner association showed his inclination for resolving the dispute and was ready to accept all the legal conditions imposed by the Chief Secretary of Bihar. The petitioner association again with a good gesture made a move through letter bearing memo no. 25 dated 10.03.2023 by the General Secretary of the That the petitioner association has taken all the efforts at

1

1

submitted that prima facie from a perusal of the undertaking which has been presented by Sri K.K. Pathak is not only against the mandate of the Association regarding the undertaking. In the said letter, it has notification no. 2709 dated 20.07.1960 of RAJNEETI VIBHAG, Government guaranteed to the citizens of this country and draw Constitution of India, in fact the same is violative of fundamental rights Government Servant (Service Association Recognition) Rules, 1960 was by the government servant has been duly recognized under the rules and in framed. From a perusal of the rule, it is apparent that the association formed terms of Rule 5(Ka) of the Rules, they are allowed to file representation for the interest of the members of the association before the Government through proper channel. It is relevant to mention here that since these rules are in government servant, which has been duly recognized under the rules. Any existence and governing the field in relation to the association formed by the action by the Prohibition Excise and Registration Department in prohibiting the activities of the petitioner association is violative of the rules of the Bihar Through the said notification, Rules in relation to the Bihar attention to the been

True copies of the memo no. 25 dated 10.03.2023 and notification no. 2709 dated 20.07.1960 are annexed herewith and marked as Annexure-24 & 24A, which form part of this second supplementary affidavit.

17

76

Government,

विक

हेतु

7

That from the above stated facts and circumstances, it is

could not be resolved. In fact, the petitioner association tried best at their Pathak for seeking an undertaking by the petitioner association, the matter evident that due to the stubborn attitude and sovereign behavior of Sri K.K.

level to settle the dispute by way of agreeing to any other legal condition

Further, Sri K.K. Pathak has not stopped taking vengeance form petitioner Chief Secretary, Bihar except signing the undertaking.

imposed

by

the

association and on 02.03.2023, directed the AIG Registration to ask the

District Magistrate, Bhojpur at Ara to seek explanation from the petitioner

association for initiating departmental proceeding and lodging an FIR.

12. That it may be stated that Sri K.K. Pathak during the course

of meeting has observed that the association should have moved before the Member Board of Revenue. Since, the Member Board of Revenue is is thoroughly misconceived the nature of order which has been passed is Appellate Authority. It is stated that Sri K.K. Pathak being an I.A.S. Officer order. no legal authority to pass the order of cancellation for registration the power without jurisdiction. The Assistant Inspector General of Registration has got jurisdiction which is not appealable, and writ is maintainable against the said Registration has not passed the order impugned therefore it is wholly without vested under the Rules and Act is with I.G. Registration. Since, I.G.

हेतु

디

76

1

17

विक

ष्य

13 the power of I.G. Registration can be delegated to Assistant Inspector That Registration Act and Rules have not provided that

General of Registration. Thus, the order passed by the Assistant Inspector General of Registration is nullity in the eyes of law and without jurisdiction. for

issuance of illegal order dated 28.01.2023 is asking undertaking from the 14. petitioner association which is against the law. Further, it is advisable that an undertaking should be furnished by Sri K.K. Pathak who has abused the people of Bihar including the members of the petitioner association which is violative of the All India Services (Discipline and Appeal) Rule 1969. That surprisingly, the person who is responsible

15. supplementary counter affidavit and have understood the same. I state that the statement mentioned in paragraph no. 1, 2, 7, 9, 11 to 14 are true to my knowledge and belief whereas statements made in paragraph no. 3 to 6, 8 &are by way of submission before this Hon'ble Court. 10 are true to my information derived from the records of the case and rest That I have gone through contents of the present

16 That the annexures true /photocopies of their respective

विक

हेतु

2

ख

originals.


Junil Kumar Piwory

1

24

37

76



ेषारतीये॰विशिष्टः पहचान प्राधिकरण - MOUE IDENTIFICATION AUTHOPMY ९६ १९८५

आत्मजः तेट पृथ्वी राज तिवारी, 2वी, मगिन्द्राते क्वॉर्टर, पटना म्यूजीयम बुद्ध

मार्ग, पटना गया गेड, बुरँदा कॉलोनी, पटना, बिहार - 800001

() &

SOVERNMENTO THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE P

गुर्नाव कुमार निवारी Sunil Kumar Tiwary

पुरुष / MALE

जन्म तिथि/ DOB: 08/02/1973

9009 6595 3925

विक मं ह्य गद 37. हेतु .76

# Bihar Administrative Service Association

hashank Shekhar Sinha Mob. No.-9334118192 President

Sunil Kumar Tiwary Mob. No.- 9431085120 General Secretary

Memo No ಸ<u>ಾ</u>

Ajay Kumar

सेवा में

9835737317

ce President

मुख्य सचिव, बिहार।

Jbodh Kumar

7979919465

प्रसगः— भवदीय पत्रांक 243/गो. मु. स. दिनांक 22.02.2023 । विषय:- दिनांक 24.02.2023 को अपराहन 5:30 बजे आहूत बैठक के संबंध में।

oint Secretary

drashekhar Azad

8987044905

महाशय,

Jikash Kumar

7717770977

hashi Shekhar

9334557086

Treasurer

में महोदय को दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण तरीके 1899/2023 बिहार एंडमिनिस्ट्रेटिव दिनांक— 10.02.2023 दोनों पक्षों की बैठक आहुत करने का निर्देश दिया गया है। उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन को माननीय उच्च न्यायलय, षटना से पारित आदेश The state of the s पत्र के सर्विस एसोसिएशन बनाम राज्य आलोक से इस मामले के निराकरण कराने हेतु में सी. डब्ल्यू. 护 <u></u> सरकार के आलोक संख्या 11:

गेक

हुरी

भाद

.76

1

1

ख्या

दिनांक-एवं. एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन सहमति देता है निबंधन विभाग,पट्ना द्वारा यदि अपने आदेश संख्या— BS3-101321/2003-76 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में मद्य निषेध, 28.01.2023 को रद्ध / वापस इस मामले 암 पर सहमत होता 9\ सौहार्दपूर्ण समाधान M हित्र 리 उत्पाद अपनी बिहार

सादर।

श्री सुनोल (महासचिव

श्री-र्राशाक शेखर सिन्हा विश्वासभाजन (अध्यक्ष)

24

Date 24.03.2023

# Bihar Administrative Service Association (2)

#### Shashank Shekhar Sinha Mob. No.-9334118192 President



Sunii Kumar Tiwary Mob. No.- 9431085120 General Secretary

Vice President Ajay Kumar 9835737317

Subodh Kumar 7979919465

Chandrashekhar Azad Joint Secretary 8987044905

महाशय,

Vikash Kumar 771770977

Shashi Shekhar Treasurer

9334557086

Memo No

Date 10-03-2023

सेवा में

मुख्य सचिव

विषय:-प्रस्य:-निबंधन ्दिनांक-02.03.2023 को आहूत बैठक में अपर मुख्य सिचव, मद्य निषेध उत्पाद एव भवदीय पत्रांक-276 दिनांक-28.02.2023 पिभाग, बिहार द्वारा प्रस्तुत Undertaking के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक बैठ्क जो सी इब्लूजें सी, नि0— 1899, 12023 बिहार एडिमीनेस्ट्रीटव सावस एसीसिऐशन बनाम राज्य सरकार में दिनांक 28.02.2023 को मान्द्रीय न्यायालय द्वारा परित आदेश के आलोक में महोद्य द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया बैठक में अपर मुख्य सचिव, महा निषेध उत्पाद एवं निष्धन विभाग, विहार द्वारा एक Undertaking का प्रारूप (छाया प्रति संलग्न) इमलोगों को इस्ताक्षर हेतु इस्तगत किया गया जो नीचे उद्दृत है;

#### Undertaking

solemnly affirm and state as under:-We, the office bearers of the Bihar Administrative Service Association do hereby

We shall ensure that the working/Operations/meetings/assemblies of the association shall be conducted in keeping with Bihar government service conduct

shall be as per Bihar government servant conduct rules, 1976. We shall ensure that all the resolutions passed by the association or any of its bodies


follow the provisions of Bihar government servant conduct rules, 1976. We shall ensure that the office bearers and members of the association shall strictly

therefore, there shall be no separate meetings of the Association at the district We understand that the association is only a single entity registered in Patna meeting then they should register themselves separately under the societies levels. If the officer bearers posted in the district wish to have the district level registration act.

convene a full body meeting of the association and pass amendments in bylaws as We also understand that once the order of cancellation is withdrawn, we will per above and submit it to IG for approval.

अधोहरताक्षरी को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया है, सेवा संघ के अस्तित्व को कोई औवित्य नहीं रह जाता है। प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, इस Undertaking के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि जो शर्ते निवंधन विभाग द्वारा बल्कि अगर इसे हरताक्षर किया जाता है तो किसी वह न केवल भारतीय संविधान द्वारा

Website: basabihar.org, E-mail ld: basassociationbihar@gmail.com North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001





## IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA Civil Writ Jurisdiction Case No. 1899 of 2023

(Male), son of Late Prithavi Raj Tiwary, resident of B- 403, Nandan Vatika, through its General Secretary, Sunil Kumar Tiwary, aged about 50 years, Patna- 800001. Sursudha Lane, East Boring Canal Road, P.S.- Buddha Colony, District-North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna- 800001 represented The Bihar Administrative Service Association Having its registered office at

... Petitioner/s

- The State of Bihar through the Chief Secretary, Bihar.
- 2. Department, Bihar. The Additional Chief Secretary, the Prohibition Excise and Registration
- $\dot{\omega}$ The Director General, Bihar Institute of Public Administration and Rural
- The Inspector General, the Prohibition Excise and Registration Department,
- S The Assistant Inspector General, the Prohibition Excise and Registration Department, Bihar
- 6 The District Magistrate, Patna.

Respondent/s

For the Respondent/s

Mr.Shrishti Singh Mr.Vikash Kumar (Sc11)

## CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE MOHIT KUMAR SHAH ORAL ORDER

S

28-02-2023 opened & submitted a report in sealed cover, which has been Court Secretary, dated In pursuance to the earlier order of this perused by this Court, however, Government 10.2.2023, 으 the Bihar, learned Patna, Chief has

in between the parties, once the High Court had undertaken, though it was obligatory on the part of the Chief Secretary to have resolved the disputes same depicts that prolific efforts have not been remitted the matter to him.

is directed to do the needful in this regard and amongst the parties, as has been pointed out in the earlier order of this Court dated 10.2.2023, he Nonetheless, considering the fact that the learned Chief Secretary, Government of Bihar, disputes report to this Court on 3.3.2023 at 2:30 pm. Patna is duty bound to resolve the

and arisen in the present case, dehors the obnoxious behaviour of the parties, which ought not to have travelled to this Court. It is expected that the Ld. most executive official and Administrative head of the State administration of State of Bihar, is under an obligation to resolve such petty matters as has It is needless to observe that the Chief Secretary, Government of Bihar, being the powers Chief Secretary shall exercise the authority vested in him sternly.



List this case on 3.3.2023 at 2.30 pm.

(Middle Kamar Shah, I)

Ajay -





#### IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No. 1899 of 2023

The Bihar Administrative Service Association

... ... Petitioner/s

The State of Bihar

Versus

... ... Respondent/s

Appearance:

For the Petitioner/s

Mr. Y.V. Giri, Sr. Advocate

Ms. Shrishti Singh. Advocate

For the Respondent/s


Mr. Naresh Dixit, Advocate Mr. Vikash Kumar, SC-11

#### CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE PURNENDU SINGH ORAL ORDER

2 10-02-2023

Heard Mr. Y.V. Giri, learned Senior Counsel appearing on behalf of the petitioner and Mr. Vikash Kumar, learned SC-11 for the State.

- 2. Mr. Naresh Dixit, learned counsel informs this Court that he has received instruction from Mr. K.K. Pathak, who is currently posted as the Additional Chief Secretary, Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar that no action will be taken in furtherance of impugned order dated 28.01.2023 (as contained in Annexure-15).
- 3. The parties have agreed to resolve the matter amicably so that the matter should be kept at rest.
- 4. The parties have agreed that the Chief Secretary, Government of Bihar be directed to intervene into the matter to resolve the issue amicably.
  - 5. Mr. Y.B. Giri, learned Senior Counsel appearing on



behalf of petitioner and Mr. Vikash Kumar, learned SC-11 appearing on behalf of State have no objection. Mr. Giri has submitted that one of the responsible member of the Association will participate in the meeting.

6. Since, the parties have agreed to resolve the issue amicably, the Chief Secretary, Government of Bihar is directed to look into the matter at his own level and convene a meeting preferably on 16.02.2023 or any other date convenient to the parties.

7. The Additional Chief Secretary, Prohibition Excise & Registration Department, Government of Bihar must ensure his participation in the said meeting before the Chief Secretary on date fixed.

8. List this case on 28.02.2023 at 2.45 P.M.

(Purnendu Singh, J)

manish/-

* 1		1
U		l i

मोवान्यतः सनिवास्त्रय नेगाम Alfred Street Williams



feain 28/02/202

and your near affia, facts

11 11 - 276/51 0 TO 310

श्री कें0 कें0 पाठक अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना अध्यक्ष. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, पटना

दिनांक 02.03.2023 को मध्याहन 12.00 बजे आहूत बैठक के संबंध में। AUT:

11312 उपयुक्त विषयक CWJC No. 1899/2023 Bihar Administrative Service Association Vrs. The State of Bihar मामले में दिनांक 02.03.2023 को मधाह्न 12.00 बजे अधोहरताक्षरी की अध्यक्षता (कार्यालय कक्ष) में बैठक निर्धारित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि बैठक हेतु निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होने की कृपा की जाये । अनु0-यथोक्त

विश्वासभाजन,

JM

(आमिर सुबहानी) 28-2.2 मुख्य सचिव, विहार

Annex- 22 (156)

UNDERTAKING

We, the Office bearers of the Bihar Administrative Service Association do hereby solemnly affirm and state as under: -

- 1. We shall ensure that the working/operations/meetings/assemblies of the Association shall be conducted in keeping with Bihar Government Servant Conduct Rules 1976.
- 2. We shall ensure that all the resolutions passed by the Association or any of its bodies shall be as per Bihar Government Servant Conduct Rules 1976.
- 3. We shall ensure that the Office bearers and the members of the Association shall strictly follow the provisions of Bihar Government Servant Conduct Rules 1976.
- 4. We understand that the Association is only a single entity registered in Patna therefore, there shall be no separate meetings of the Association at the District levels. If the officers posted in the districts wish to have the district level meetings, then they should register themselves separately under the Societies Registration Act.
- 5. We also understand that once the order of cancelation is withdrawn, we will convene a full body meeting of the Association and pass amendments in the bylaws as per above and submit it to the IG for approval.

President

Bihar Administrative Service Association

General Secretary

Bihar Administrative Service Association

पत्रोक <u>। ६ ५</u> बिहार रारकार मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

V WAGEN 53



काशी कुमार, शहायक निवंधन महानिरीक्षक, गटा निषंध, उत्पाद एवं नियंधन विभाग, बिहार, पटना।

समाहर्ता –सह– निबंधक, भोजपुर।

ब्रेटी में,

पटना, दिनांक-02/03/2023

भोजपुर जिला में बासा (बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन) की बैठक के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि बासा (बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन) का निवंधन का निवंधन कहना है कि बासा (बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन) का निवंधन का पत्रांक-76 दिनांक-28.01.23 द्वारा रद्द कर दिया गया है एवं संघ की राभी गतिविधियां पर का लगाई गई थी। किन्तु यह सूचना मिली है कि अपर समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा संघ की गतिविधि द्व हो जाने के वावजूद दिनांक-01.02.23 को संघ की बैठक रखी गई थी, जो कि स्पष्टतः नियम। का उल्लंघन है (अपर समाहर्त्ता द्वारा बुलाई गई बैठक की प्रतिलिपि संलग्न है)।

इतना ही नहीं, अपर समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा यह बैठक समाहरणालय के पेड पर एवं विहार सरकार का logo इस्तेमाल करते हुए उक्त बैठक की सूचना दी गई है, जो कि स्पष्टतः स्थापित ज्ञावरण नियमावली एवं विहार सरकार सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन है। साथ ही यह कहना है कि संघ की गतिविधि पर रोक के बावजूद संघ की बैठक बुलाना भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बनता है।

अतः निदेशानुसार आपरो अनुरोध है कि उपरोक्त पर एक प्रतिवेदन अतिशीध भेजने की कृपा की जाय, ताकि अपर समाहर्ता, भोजपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं अन्य कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(काशी कुमार) स्हायक निबंधन महानिरीक्षक

#### gihar Administrative Service Association (22)



Shashank Shekhar Sinha president Mob. No.-9334118192



Sunil Kumar Tiwary General Secretary Mob. No.- 9431085120

Memo No 25

Date 10-03-2023

vice president <sub>Ajay</sub> Kumar 9835737317

<sub>Subodh</sub> Kumar 7979919465

Joint Secretary <sub>mdrashekhar</sub> Azad 8987044905

Vikash Kumar 7717770977

Treasurer Shashi Shekhar 9334557086 सेवा में.

मुख्य सचिव, बिहार।

विषय:- दिनांक-02.03.2023 को आहूत बैठक में अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा प्रस्तुत Undertaking के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय पत्रांक-276 दिनांक-28.02.2023 महाशय,

उपर्युक्त विषयक बैट्क जो सी डब्लूजे सी. न0- 1899/2023 बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिऐशन बनाम रिज्यु सरकार में दिनाक 28.02.2023 को मान्तीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में महोद्य द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया, बैठक में अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध उत्पदि एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा एक Undertaking का प्रारूप (छाया प्रति संलग्न) इमलोगों को हस्ताक्षर हेतु हस्तगत किया गया जो नीचे उद्वत है;

Undertaking

We, the office bearers of the Bihar Administrative Service Association do hereby solemnly affirm and state as under :-- The Section

We shall ensure that the working/Operations/meetings/assemblies of the association shall be conducted in keeping with Bihar government service conduct rules, 1976. 

We shall ensure that all the resolutions passed by the association or any of its bodies shall be as per Bihar government servant conduct rules, 1976.

We shall ensure that the office bearers and members of the association shall strictly follow the provisions of Bihar government servant conduct rules, 1976.

We understand that the association is only a single entity registered in Patna therefore, there shall be no separate meetings of the Association at the district levels. If the officer bearers posted in the district wish to have the district level meeting then they should register themselves separately under the societies registration act.

We also understand that once the order of cancellation is withdrawn, we will convene a full body meeting of the association and pass amendments in bylaws as per above and submit it to IG for approval.

इस Undertaking के प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि जो शर्ते निबंधन विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह न केवल भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अगर इसे हस्ताक्षर किया जाता है तो किसी सेवा संघ के अस्तित्व को कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001 Website: basabihar.org, E-mail Id: basassociationbihar@gmail.com

इस संबंध में भवदीय के अवलोकनार्थ एवं सुलभ संकेत हेतु राजनीति विभाग (सामान्य बा) की अधिसचना क्रमा विभाग (सामान्य शाखा) की अधिसूचना संख्या—2079 दिनांक—20.07.1980 की छाया प्रति संलग्न है। जिसके

अनुसार मान्यता प्राप्त् सेवा संघ को कियाशील रखने का प्रावधान है। बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन आपके द्वारा विधिसम्ममत तरीके से आज की तिथि में प्रवृत लागू नियम के आलोक में तैयार कोई Undertaking पर हस्ताक्षर की सहमित देता है। आपके द्वारा दिए गए अन्य किसी भी विधिसम्मत निदेश का अनुपालन करने के लिए Undertaking बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन सहमत है। अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन

Pioros) -(सुनील कुमार तिवारी) महासचिव

Alexander de DO

(fqun 712)

प्रकाशिक विभाग (सामाव्य माखा)

यविश्वना ;

#### े 20 बुनाई, 10607

ताः मृत्यान म् द्रमक् पूर्व । त्रकीत सभी पन्दत्ताः क भन्दां द १०० क प्रश्नेक होत्य प्रत्य साव का प्रतिकार ता गाहित्व प्रदेशक पूर्व अवस्थित गर्भा भन्दक्षा है। भवन्त्रेट १६३ के प्रश्नेक देशक प्रत्य अवस्था का कांभ की धन विषय में देशक पूर्व अवस्थित गर्भा भन्दक्षा है। भवन्त्रेय विश्व के अवस्था प्रत्य अवस्था का कांभ

्रिकार शास्त्राही मनक (प्रवा ग्रंथी की mover) विष्मकारी, 1966

), विभिन्न गाम --यह निम्मानको दिहार महदारा नेपक (नेने क्यों में पानका) क्यानको (३६० व्हनता।

- ), पश्चिमा अन्त तन नोडे बात ।वद्य या महस्ते हे निस्त्य १ तो, उस निकासमूनी से
  - (क) "सरकार" व भाभभेत है, निहार मन्दार
  - [म] "सरकारी सेमना" में समिन्न हैं, ऐसा स्मीतन, रिन पर परता सम्बद्ध सेवला। धानता अवस्थान र
- ्र दुवं माध्यक्तामान्त्र सेवा सद्य-्द्रम् १-४मातन्त्रे ४ प्रारम्भ हे पटन थी। सन्दर्भ व रिस्प सेटा उप र आयता की हो चोर अवको मान्यता स्थिमानको हे प्रश्निक एक । निवा अवकार अवकार । का उपन हे प्रदुत्ति संस्कृति द्वारी मान्याबामान्य मान्या नाम्या त्रीय तद तम चान्यावात मान्य हातः ग्रीमः स्थ पर कि क्षिम के के ब्रह्मीय महत्त्वता के पर में की अहते .
- द सवा सधी को भारवता धकान करने को मर्स--दम निवस्ति र प्रत्यम के बाद रावनार उन्हों सी हैंसे सम् को तन तक मानवता घराने नहीं गरेगों तक देव कि 12 निर्माणिक श्रमी की पूर्वि नहीं बच्छा हो 🛶
  - (क) मेना तीर की मान्यता के निर्मित निर्मी मुनगत मूनलाई के मान पार्वदन किया करता.
  - (स) सेवा संप प्रमुख्ताः इसके मदस्यों को मेवा में सम्बद्ध गामान्य हिती को बद्धाता देते व उद्देश्य है। गरिय किया जाता है।
  - (ग) सेवा संघ को सदस्यता गमान हित स्थानंदालं एक विजेग पंची के सदकारी नवको तक री प्रतिकृष्टित हो समा ऐसे एपी संस्कारी मेचक चेन मेच मध के गदम्य ही मक्जे क पात ही ;
  - (प) जो आर्थित सरवारी मेंबक नहीं हैं, उसका सावन्य मेंबा एप के पार्टी है नहीं ही
  - (क) सवा मण के बहुसंबारी सदस्य उन्नते भटन्यों में से ही बूने रहा , धीन
  - (ह) मेचा मध हो निधि विजेशन मदस्या ने पत्तन बढ़ी थीर यह मस्यान ने कार्ट पत्दन teet हो तो इस पनुदास की राणि से बन्तों हो। भी। इसका उन्योग मेंबा सम के उहुँग्या की माने वदाने के लिए ही किया नाता हो ।

<sup>\*</sup> विहार सरकारी सेवक (धामार) नियमावनी, 1976 के धनुसार, 1956 के स्थान पर ५७७७ एवा गया है।

178

परिशिष्ठ-100

संघ

(नियम 712)

राजनीति विभाग

(सामान्य शाखा)

अधिसूचना

20 जुलाई, 1960

स्त ए/ए 1-02/60 पीठजीठ-2079-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत अभिवादों का प्रयोग और इस विषय में इसके पूर्व निर्गत सभी अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल विम्नितिखित नियमावली बनाते हैं :-

#### बिहार सरकारी सेवक (सेवा संघो की मान्यता) नियमावली, 1960

- 1. संक्षिप्त नाम यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (सेवा संघो की मान्यता) नियमावली, 1960 कहलाएगी।
- 2. परिभाषा जब तक कोई बात विषय का संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में -
  - (क) "सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;
  - (ख) सरकारी सेवक से अभिप्रेत हैं ऐसा व्यक्ति, जिसपर बिहार सरकारी सेवक (आचार) (नियमावली) 1976 लागू होती हैं!
- 3. पूर्व मान्यताप्राप्त सेवा संघ— इस नियमावली के प्रारम्भ के पहले येदि सरकार में किसी सेवा संघ को मान्यता दी है और उसकी मान्यता नियमावली के प्रारम्भ होने के समय तक बरकरार हो तो इसे इन नियमावली के अधीन सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त माना जायगा और तब तक मान्यताप्राप्त माना जाता रहेगा जब तक कि नियम 6 के अधीन मान्यता वापस न ले ली जाए।
- 4. सेवा संघो को मान्यता प्रदान करने की शर्ते— इस नियमावली के प्रारम्भ के बाद सरकार किसी भी सेवा संघ को तब तक मान्यता प्रदान नहीं करेंगी जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति नहीं करता हो :--
  - (क) सेवा संघु की मान्यता के निमित सभी सूसंगत सूचनाओं के साथ प्रतिवेदन किया जाय।
  - (ख़) सेवा संघ प्रमुखतः इसके सदस्यों की सेवा से सम्बद्ध सामान्य हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया जाता है ;
  - (ग) सेवा संघ की सदस्यता समान हित रखनेवाले एक विशेष श्रेणी के सरकारी सेवको तक ही प्रतिबंधित हो तथा ऐसे सभी सरकारी सेवक उस सेवा संघ के सदस्य हो सकने के पात्र हो :
  - (घ) जो व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं है, उनका सम्बन्ध सेवा संघ के कार्यों से नहीं हो
  - (ड) सेवा संघ के कार्यकारी सदस्य उसके सदस्यों में से ही चुने जाए और
  - (च) सेवा संघ की निधि विशेषतः सदस्यों से प्राप्त चंदो और यदि सरकार ने कोई अनुदान दिया हो तो इस अनुदान की राशि से बनती हो और इसका उपयोग सेवा संघ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाता हो।

बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के अनुसार, 1956 के स्थान पर 1976 रखा गया है।



हारों, जिन्हें कृष्णपीन माध्यता प्रदाश की वास्त्री - इस विश्वनामां में बातीन मान्यवास्त्र हैं। त्राहरी नाना जानेपाल हरेण सम सिम्मिन्निया हती का अनुमानन करेले

्रिता तथा सम्मान सद्भाग के सामान्य दिनों स वर्गाद्धता विभी मानने हा स्टार स्टार न सन् न न तो कोई पम्यानदेवन देश। योर न नेतेर प्रतिशिक्ष गढन ही भेषेश। ्षा में सम्बद्धाः प्रत्यान्त्रमः सरकारी मेंचको के मेचा मुख्यन्ती मामने वा समर्थन या गढायक जही

(ग) तेवा श्रेम स यो नरीई राजनीतिक निधि रखगा धीर म निमी संबर्धार न इस या राजनीतर र किनारी के प्रचार चतुर्थ में ध्यन को चनारत्ता.

(ध) सेना संध राभी धाक्रमाचें तनों को शंभह भाग्यम से भदागमा चीर तन्हें सामहन्त पदा के रन्तान तिबंद, विकास हिन्दू सा नार्यास्य प्राप्त करे सन्तिथित करेका।

(ठ) व्यक्ति साधारण चेंद्रक के बाद, सदस्यों धोर प्रश्निमार्गियों को मुनः । उस्तार के बदस्य पान मेमा क्षेत्र के लीची का धक्तिमा (श्वरण, प्रतिसर्व मरकार का प्रवार प्राप्त स्थान का प्रवार में में के रोप्से किये । भूचाई के केच को जी केस ;

्व । मेना सम, रव बत्सा व्यवनो विवसायको म ताई संभागात करना फहेंगा, वह मधासन क्रम्प की एक भीषम प्रति, सम्भोशा धोर मनुमोदन के लिए मन्यतर की भीरतस्य च अ तमा । स्थलार, सेवा क्षम की निगमान्यभी भें क्रेयल एमें मनायन की ही धनुमति हो। जो इस नियम, इसी ने धनका

(छ) सेवा नेप, सरवत्र की पूर्व भनुभात प्राप्त किस विभा, विभी कार सम्बन्ध के कर्ता राज राज मिनश्यमा धीर व उसने मपुन्त का मक्तद होता।

(क) सेना संग, सरकार की पूर्व समुमोदन पांग निया विनय, परानाविका पा बुल दिन नका सिकाने पा का पकाणित गरेगा ।

(स) गाँद सेना संघ की सहनार का मह पाइन पाल हो कि नह पतार्गक्षका या कुनावित का प्रकारत बाद कर दे, वयोक्ति उसके बकाजन में केंद्रोय मस्कार मा विसी राज्या-सर्वतः या विसी मध्यारी पाणिकार के क्षित्री कथना सस्वार् का सरकारने पाणिकारी की गरवारों तेरकों में बीच पण्डे ग्रामको पर पश्चिम् । प्रमान पश्चा है भी वट दनका रक्षाण नव कर दक्षा

्ता) सेना सम्मान को प्रेष्ट प्रसार क्या क्याण की वाजनी लेगा कार्य में प्रकार की देखा कि असे सुरकारी संबंध क्षारण ग्रेसर किए वार्न पर अन्तरार सरकार्य नेवर र्वायण र क्षिपण उन्हें। अन्तर

के निमम ध । पानाई का उत्पाद राजा हो।

रड∮ मेरा मुंग किसी विदेशा पाणिकासे को सक्कार के सहसम नहीं (प्रसित्त का राक्ष रक्का का भोगकार है, पळाभार वरेगा, प्रानेगा नहा ।

(है) केंच्य गए की इस्तानी प्राप्त में लिमी ल्हाधानचे इस्त करना व मिन्ने कर होने आधारानी का लिये मम् पन्न वर्षे व्यन्ता १७ मृत्रक याः प्रक्षेत्रकोष काका कः प्रधीम व्यक्ते विवार का एका ।

 मान्यता प्राप्ता संबद्ध-- व्योद सरकार को छप में दूस नियमणार्थ के एक्टिंग महत्र्यक्षप्रका किसी सेव्ह मणुन् निजन कुमा जिस्सा हु से सिद्धिट प्रधी वे बनुमामन में मुक्त को हो तो बल एसे अप को दी गई महन्द्रता नापस सं ग्रहेगी।

 शिविम कला - गरवार इतमें ऐ किसी की निवा कर महिलाओं को इस मील। तन भी करता अली के मध्यभीम छोड़ सकीमी या शिवित्व कार सकोगी हैमा वह किमी चवा मध्य मधिको खेळी के सवा ग्रधा की स्थिति

तिसंचन—मंदि इस निम्माशनों को रिज्हों क्वांधी के निर्माण के मन्त्रम में कोई विधाद पढ छहा हो।

तो, इसे सरकार के पाछ मंत्र दिया जामगा धोर इस विषय पर, जिसका विशेष पठिम होगा।

भिद्दार-राज्यमान Ę त्मय मुमक गाप मक्तम चीवच ।

े बिह्नार सरकारो गेवक (साञ्चार) विषयावनी, 1978 के एनुमार विस्य क्या एन । या के स्थाने पर निमम । स्वा नमा है।

T.C (25)

5. शतों, जिनके मध्यधीन मान्यता प्रदान की जाएगी-इस नियमवली के अधीन मान्यताप्राप्त हो। मान्यताप्राप्त माना जानेवाला हरेक संघ निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा :-

(क) सेवा संघ अपने सदस्यों के सामान्य हितों से संबंधित किसी मामले को छोड़ अन्य मामले में न तो कोई अभ्यावेदन देगा और न कोई प्रतिनिधि मंडल ही भेजेगा।

(ख़) सेवा संघ, अलग–अलग सरकारी सेवकों के रोवा संबंधी मामले का समर्थन या सहायता नहीं

(ग) रोवा संघ न तो कोई राजनीतिक निध रखेंगा और न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारों के प्रचार कार्य में अपने को लगायेगा।

(प्र) सेवा संघ सभी अभ्यावेदनों को उचित माध्यम से बढ़ाएगा और इन्हें सामान्य प्रथा के अनुसार सचिव, विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान को संबंधोधित करेगा।

(इ) वार्षिक साधारण बैठक के बाद, सदस्यों और पदाधिकारियों की सूची, नियमावली की अध्यतन प्रति सेवा संघ के लेख का अंकेक्षित विवरण, प्रति वर्ष सरकार को उचित माध्यम से इस प्रकार भेजे जायेमें की वे 1 जुलाई के पहले प्राप्त हो जायें।

(च) सेवा संघ, जब कभी अपनी नियमावली में कोई संशोधन करना चाहेगा, वह संशोधन प्रारूप की एक अग्रीम प्रति, समीक्षा और अनुमोदन के लिए सरकार को अभीलम्ब भेज देगा। सरकार, सेवा संघ की नियमावली में केवल ऐसे संशोधन को ही अनुमती देगी, जो इस नियमावली के अंतर्गत न हो।

(छ) सेवा संघ, सरकार की पूर्व अनुमती प्राप्त किंगे विना, किसी अन्य निकाय में अपने पद को न तो गिनाएगा और न उससे संयुक्त या संबद्ध होगा।

(ज) सेवा संघ, सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, पत्र-पत्रिका या बुलेटिन नहीं निकालेगा या प्रकाशित करेगा।

(झ) यदि सेवा संघ को सरकार का यह आदेश प्राप्त हो कि वह पत्र-पत्रिका या बुलेटिन या प्रकाशन बंद कर दें, क्योंकि उसके प्रकाशन से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी प्राधिकार के हितों अथवा सरकार या सरकारी प्रदाधिकारी और सरकारी संवकों के बीच अच्चे सम्पर्क पर प्रतिकृत प्रभार पड़ता है, तो वह इसका प्रकाशन बंद कर देगा।

(ञ) सेवा संघ न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न किसी ऐसे कार्य में सहयोग ही देगा, जिससे सरकारी सेवक द्वारा ऐसा किये जाने पर, बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के नियम 8 के उपबंधों का उल्लेख होता हो।

(ट) सेवा संघ किसी विदेशी प्राधिकारी को, सरकार के माध्यम न ही, जिसे पत्राचार रोक रखने का अधिकार है, पत्राचार करेगा, अन्यथा नहीं।

(ठ) सेवा संघ का इसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी पदाधिकारी को लिखे गए पत्र में अनादरसूचक या असोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6. मान्यता वापस लेना—यदि सरकर की राय में, इस नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त किसी सेवा संघ ने, नियम 4 या नियम 5 में निदिष्ट शर्तों के अनुपालन में चूक की हो तो वह ऐसे संघ को दी गयी मान्यता वापस ले सकेगी।

7. शिथिल करना—सरकार इनमें से किसी भी नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और जन—शर्तों के मध्यधीन छोड़ सकेगी या शिथिल कर सकेगी जैसा वह किसी सेवा संघ या किसी श्रेणी के सेवा संघों की स्थिति में उचित समझें।

8. निबंधन—यदि इस नियमवली के किन्हीं उपबंधों के निबंधन के संबंध में कोई विवाद उठ गया हो तो, ऐसे सरकार के पास भेज दिया जायेगा और इस विषय पर, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एम०एस० राव.

गुख्य सचिव।

<sup>\*</sup> बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1970 के अनुसार, नियम 4 ध एवं 4 या के स्थान पर नियम 8 रखा गया है।

Date	Name & Address	Contents	Peon's Name	Time	Receiver's Signature
	मुख्य सचिव	195			· ·
	विधार, पटना	10-03-	3	,	
				-	<u></u>
			23		
		(1010)			
	*		10.75 17 T 18 1		-
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			1,7	}	
				-	
				1	
\			7		

James 24 A 24 A

परिशिष्ठ-100

संघ

(नियम 712)

राजनीति विभाग

(सामान्य शाखा)

अधिसूचना

20 जुलाई, 1960

स0 ए/ए 1-02/60 पी०जी०-2079-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत अभिवादों का प्रयोग और इस विषय में इसके पूर्व निर्गत सभी अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

बिहार सरकारी सेवक (सेवा संघो की मान्यता) नियमावली, 1960

- 1. संक्षिप्त नाम यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (सेवा संघो की मान्यता) नियमावली, 1960 कहलाएगी।
- 2. परिभाषा जब तक कोई बात विषय का संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में –

(क) "सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार ;

(ख) सरकारी सेवक से अभिप्रेत हैं ऐसा व्यक्ति, जिसपर बिहार सरकारी सेवक (आचार) (नियमावली) 1976 लागू होती है।

- 3. पूर्व मान्यताप्राप्त सेवा संघ इस नियमावली के प्रारम्भ के पहले यदि सरकार में किसी सेवा संघ को मान्यता दी है और उसकी मान्यता नियमावली के प्रारम्भ होने के समय तक बरकरार हो तो इसे इन नियमावली के अधीन सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त माना जाया। और तब तक मान्यताप्राप्त माना जाता रहेगा जब तक कि नियम 6 के अधीन मान्यता वापस न ले ली जाए।
- 4. सेवा संघो को मान्यता प्रदान करने की शर्ते इस नियमावली के प्रारम्भ के बाद सरकार किसी भी सेवा संघ को तब तक मान्यता प्रदान नहीं करेंगी जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति नहीं करता हो :-
  - (क) सेवा संघ की मान्यता के निमित सभी सूसंगत सूचनाओं के साथ प्रतिवेदन किया जाय।
  - (ख) सेवा संघ प्रमुखतः इसके सदस्यों की सेवा से सम्बद्ध सामान्य हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया जाता है ;
  - (ग) सेवा संघ की सदस्यता समान हित रखनेवाले एक विशेष श्रेणी के सरकारी सेवको तक ही प्रतिबंधित हो तथा ऐसे सभी सरकारी सेवक उस सेवा संघ के सदस्य हो सकने के पात्र हो ;
  - (घ) जो व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं है, उनका सम्बन्ध सेवा संघ के कार्यों से नहीं हो
  - (ड) सेवा संघ के कार्यकारी सदस्य उसके सदस्यों में से ही चुने जाए और
  - (च) सेवा संघ की निधि विशेषतः सदस्यों से प्राप्त चंदो और यदि सरकार ने कोई अनुदान दिया हो तो इस अनुदान की राशि से बनती हो और इसका उपयोग सेवा संघ के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाता हो।

<sup>\*</sup> बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के अनुसार, 1956 के स्थान पर 1976 रखा गया है।

शतंं, जिनके मध्यधीन मान्यता प्रदान की जाएगी-इस नियमवली के अधीन मान्यताप्राप्त हो। भान्यताप्राप्त माना जानेवाला हरेक संघ निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन करेगा :-

(क) सेवा संघ अपने सदस्यों के सामान्य हितों से संबंधित किसी मामले को छोड़ अन्य मामले में

न तो कोई अभ्यावेदन देगा और न कोई प्रतिनिधि मंडल ही भेजेगा।

(ख) सेवा संघ, अलग–अलग सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी मागले का समर्थन या सहायता नहीं

(ग) सेवा संघ न तो कोई राजनीतिक निधि रखेगा और न किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक

विचारों के प्रचार कार्य में अपने को लगायेगा।

(घ) सेवा संघ सभी अभ्यावेदनों को उचित माध्यम से बढ़ाएगा और इन्हें सामान्य प्रथा के अनुसार सचिव, विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान को संबंधोधित करेगा।

(इ) वार्षिक साधारण बैठक के बाद, सदस्यों और पदाधिकारियों की सूची, नियभावली की अध्यतन प्रति सेवा संघ के लेख का अंकेक्षित विवरण, प्रति वर्ष सरकार को उचित गाध्यम से इस प्रकार

भेजे जायेगें की वे 1 जुलाई के पहले प्राप्त हो जायें।

(च) सेवा संघ, जब कभी अपनी नियगावली में कोई संशोधन करना चाहेगा, वह संशोधन प्रारूप की एक अग्रीम प्रति, समीक्षा और अनुमोदन के लिए सरकार को अभीलम्ब भेज देगा। सरकार, सेवा संघ की नियमावली में केवल ऐसे संशोधन को ही अनुमती देगी, जो इस नियमावली के अंतर्गत न हो।

(छ) सेवा संघ, सरकार की पूर्व अनुमती प्राप्त किये विना, किसी अन्य निकाय में अपने पद को न

तो गिनाएगा और न उससे संयुक्त या संबद्घ होगा।

(ज) सेवा संघ, सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, पत्र-पत्रिका या बुलेटिन नहीं निकालेगा

या प्रकाशित करेगा।

(झ) यदि सेवा संघ को सरकार का यह आदेश प्राप्त हो कि वह पत्र-पत्रिका या बुलेटिन या प्रकाशन बंद कर दें, क्योंकि उसके प्रकाशन से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सरकारी प्राधिकार के हितों अथवा सरकार या सरकारी पदाधिकारी और सरकारी सेवकों के बीच अच्चे सम्पर्क पर प्रतिकुल प्रभार पड़ता है, तो वह इसका प्रकाशन बंद कर देगा।

(ञ) सेवा संघ न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न किसी ऐसे कार्य में सहयोग ही देगा, जिससे सरकारी सेवक द्वारा ऐसा किये जाने पर, बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1976 के

नियम 8 के उपबंधों का उल्लेख होता हो।

(ट) सेवा संघ किसी विदेशी प्राधिकारी को, सरकार के माध्यम न ही, जिसे पन्नाचार रोक रखने . . का अधिकार है, पत्राचार करेगा, अन्यथा नहीं।

(ठ) सेवा संघ का इसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा सरकार या किसी सरकारी पदाधिकारी

को लिखे गए पत्र में अनादरसूचक या असोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

6. मान्यता वापस लेना-यदि सरकर की राय में, इस नियमावली के अधीन मान्यता प्राप्त किसी सेवा संघ ने, नियम 4 या नियम 5 में निदिष्ट शर्तों के अनुपालन में चूक की हो तो वह ऐसे संघ को दी गयी मान्यता वापस ले सकेगी।

7. शिथिल करना—सरकार इनमें से किसी भी नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और जन—शर्तों के मध्यधीन छोड़ सकेगी या शिथिल कर सकेगी जैसा वह किसी सेवा संघ या किसी श्रेणी के सेवा संघों की स्थिति में उचित समझें।

8. निबंधन-यदि इस नियमवली के किन्हीं उपबंधों के निबंधन के संबंध में कोई विवाद उठ गया हो तो, ऐसे सरकार के पास भेज दिया जायेगा और इस विषय पर, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एम0एस0 राव,

मुख्य सचिव।

<sup>\*</sup> बिहार सरकारी सेवक (आचार) नियमावली, 1970 के अनुसार, नियम 4 ध एवं 4 या के स्थान पूर नियम 8 रखा गया है।